भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
आतारांकित प्रश्न सं. 4219
19 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: पीएम-किसान पोर्टल
4219. श्री संजय दिना पाटीलः
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ः
श्रीमती सुप्रिया सुलेः
श्री भास्कर मुरलीधर भगरेः
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हेः
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटीलः
क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में पात्र किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) से बाहर रह गए हैं, क्योंकि पंजीकरण ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से फिर से खोले जाने का आश्वासन दिए जाने के बाद भी पोर्टल पर नए पंजीकरण लगातार सक्रिय नहीं हो रहे हैं;
(ख) यदि हाँ, तो विशेषकर पुणे, मराठवाड़ा और विदर्भ जैसे क्षेत्रों में इस आश्वस्त की गई पंजीकरण सुविधा को लागू करने में देरी के क्या कारण हैं;
(ग) क्या मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से नए पंजीकरण को सक्षम करने के लिए समय-सीमा को अंतिम रूप दिया है और यदि हाँ, तो इसके लागू होने की अपेक्षित तिथि क्या है;
(घ) क्या सरकार का उन छूटे हुए किसानों को पूर्वव्यापी लाभ या मुआवजा देने का विचार है जो कई किश्तें नहीं ले पाए; और
(ङ) क्या मंत्रालय डिजिटल अपवर्जन को दूर करने और पीएम-किसान लाभों तक समान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा प्रदान कर रहा है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ङ): पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा फरवरी 2019 में कृषि योग्य भूमिधारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रारंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत, किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे अंतरित किया जाता है। पीएम-किसान योजना के अंतर्गत, योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि योग्य भूमिधारण प्राथमिक पात्रता मानदंड है, जो कुछ अपवर्जन मानदंडों के अधीन है।

किसान-केंद्रित डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर ने यह सुनिश्चित किया है कि इस योजना का लाभ देश भर के सभी किसानों तक बिना किसी बिचौलिए की भागीदारी के पहुंचे । लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने योजना की शुरुआत से अब तक 20 किस्तों के माध्यम से अब तक रुपए 3.90 लाख करोड़ से अधिक की धनराशि वितरित की है।

इस योजना में किसानों का पंजीकरण एक सतत प्रक्रिया है और यह महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के किसानों के लिए खुला है। किसान पीएम-किसान पोर्टल, पीएम-किसान ऐप और कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। ऐसे सभी आवेदनों को संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उचित सत्यापन के बाद अनुमोदित किया जाता है। जिन मामलों में आवेदक द्वारा आवश्यक दस्तावेज़/विवरण उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, उन मामलों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है। राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनुमोदन प्राप्त होने के बाद, विभाग द्वारा तुरंत लाभ की प्रक्रिया शुरू की जाती है और अगली किस्त में यह राशि जारी कर दी जाती है।

इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी पात्र किसान इस योजना से वंचित न रहे, भारत सरकार आमतौर पर राज्य सरकारों के साथ समन्वय में सैचुरेशन अभियान चलाती है। 15 नवंबर 2023 से विकसित भारत संकल्प यात्रा (वीबीएसवाई) के तहत एक बड़ा राष्ट्रव्यापी सैचुरेशन ड्राइव चलाया गया, जिसके दौरान 1.0 करोड़ से अधिक किसानों को पीएम-किसान के अंतर्गत शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त, नई सरकार की 100 दिनों की पहल के तहत, लगभग 25 लाख और पात्र किसानों को पीएम-किसान योजना के अंतर्गत जोड़ा गया। इसके अतिरिक्त, लंबित स्व-पंजीकरण मामलों के निपटान के लिए सितंबर, 2024 से एक विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान की शुरुआत से, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 30 लाख से अधिक लंबित स्व-पंजीकरण मामलों को स्वीकृति दी जा चुकी है।
